प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2021*

विषय: आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में स्थायी नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 के प्रस्तर-1, प्रस्तर-2(ख), प्रस्तर-2(ग), प्रस्तर-2(च), प्रस्तर-3(प्रतिबन्धित श्रेणी)**(i)(ix)(xiii)** प्रस्तर-4, 5, 6, 7, 8 एवं प्रस्तर-10 में सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे:-

स्तम्भ-1		**स्तम्भ-2**
प्रस्तर संख्या	शासनादेश दिनांक 01.08.2018 में पूर्व स्थापित प्रावधान	स्थापित नियम में संशोधित प्रावधान
1	श्री राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु निम्न नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।	श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद- 161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), एवं गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2(ख)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	**2(ख)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है एवं विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
2(ग)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित, समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195 में प्राविधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया है और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:- 1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis 2- Incurable malignancy 3- Incurable Blood diseases 4- Congestive heart failure 5- Chronic epilepsy with mental degeneration 6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer 7- Total blindness of both eyes 8- Incurable paraplegias and hemiplegics 9- Advanced Parkinsonism	**2(ग)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जो निम्नलिखित किसी भी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195,196 एवं 197 में प्राविधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित बीमारी से ग्रसित होने का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दिया गया हो। 1- Advanced bilateral pulmonary tuberculosis 2- Incurable malignancy 3- Incurable Blood diseases 4- Congestive heart failure 5- Chronic epilepsy with mental degeneration 6- Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer 7- Total blindness of both eyes 8- Incurable paraplegias and hemiplegics 9- Advanced Parkinsonism

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10- Brain Tumor 11- Incurable Aneurysms 12-Irreversible Kidney failure	10- Brain Tumor 11- Incurable Aneurysms 12- Irreversible Kidney failure 13- Any other terminal disease.
2(च)	आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-**Xiii** में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।	**2(च)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। **2(छ)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूद्ध ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(**vi**), (**viii**) अथवा (**ix**) से आच्छादित हैं उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।
3 (प्रतिबन्धित श्रेणी)	**(i)** आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। **(ix)** आजीवन कारावास से दण्डित, ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिन्होंने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।	**(i)** निरस्त **(ix)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित, ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जिन्होंने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल अथवा पुलिस अभिरक्षा से पलायन किया हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364ए (मुक्ति धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को अपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना), 366ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (अपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373(वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।	(xiii) आजीवन कारावास से दण्डित, ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा-363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण), 364(हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण), 364ए (मुक्ति धन आदि के लिये व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत या उत्प्रेरित करना), 366ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366ब (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए दण्डित किये गये हों।
4	समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगे एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी	**4-**समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक, कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगे एवं पात्र समस्त बंदियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेंगे।	समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 90 दिन पूर्व, उपलब्ध कराया जायेगा।
5	बन्दियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।	**5-** बन्दियों की आयु एवं सजा की गणना प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के अनुसार की जायेगी।
6	परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव दिनांक 15 नवम्बर तक महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध करायेंगे।	**6-** परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार समस्त प्रस्तावों का नीति के आलोक में परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित कराते हुए कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नहीं है, प्रस्ताव रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 75 दिन पूर्व, महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध करायेंगे।
7	महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवम्बर तक प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायेगा।	**7-** महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुए शासन को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस के 45 दिन पूर्व, उपलब्ध करायेंगे।
8	शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:- (क) प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0 प्र0 शासन- अध्यक्ष। (ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-सदस्य (ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0- सदस्य सचिव (घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,	**8-** शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों के निस्तारण हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:- (क) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0 प्र0 शासन- अध्यक्ष (ख) सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-सदस्य (ग) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0- सदस्य सचिव (घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन द्वारा नामित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	उ0प्र0 शासन- सदस्य समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।	विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन- सदस्य समिति द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तर-1 में अंकित रिहाई हेतु निर्धारित दिवस से 30 दिन पूर्व प्रस्तुत की जायेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
10	उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बन्दी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गयी सजा पूर्णरूप से भुगतनी चाहिए, तो शासन ऐसे बन्दी की सजा में दी गई छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिए पुनः कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।	**10.** इस स्थाई नीति के अन्तर्गत किसी बन्दी की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण के विचारण के दौरान यदि उसके अपराधिक इतिवृत्त एवं कारागार आचरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आता है तो न्यायहित में उसके रिहाई प्रस्ताव को सकारण निरस्त किया जा सकता है।
		11- इस स्थायी नीति के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बन्दी रिहा हो जाता है जिसका अपराध ऐसी श्रेणी का हो जिसके लिये उसे मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा पूर्ण रूप से भुगतनी चाहिए तो शासन ऐसे बन्दी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।

3- अत: शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 को उक्त सीमा अवधि तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-120/2021/1382(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।